

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0संशोधन/ 909 /2025, लखनऊ, दिनांक :: जून 11 . 2025

संशोधित आदेश

श्री राजीव रंजन, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, प्रयागराज द्वारा प्रेषित पत्र सं0 338/2025 दिनांकित 10.06.2025 पर विचारोपरान्त मुख्यालय के आदेशांक 698/2025 दिनांकित 28.04.2025 द्वारा जनपद प्रयागराज में दिनांक 16.06.2025 से 20.06.2025 तक गठित युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 16.06.2025 से 18.06.2025 तक (तीन दिवस) खण्ड पीठ गठित की जाती है, जिसमें न्यायिक सदस्य, पीठ-1, प्रयागराज एवं सदस्य पीठ-4, वाराणसी सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय / अधिकारियों को सूचित किया जाए।

ह/-11.06.2025

(रमेश चन्द-प्रथम)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 / 2 प्रयागराज एवं पीठ-4, वाराणसी।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा-भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी, मुख्यालय।
3. सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(प्र0) निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।